न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय–2, वाराणसी।
सत्र परीक्षण संख्या–244/2020
राज्य प्रति रोहित गुप्ता

मु0अ0सं0–747/2019
धारा 306 भा0दं0स0
थाना सिगरा, वाराणसी।

25.11.2020

पत्रावली पेश हुयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वाराणसी के तर्को को प्रार्थनापत्र 5ख/1 पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त रोहित गुप्ता के विरूद्ध पुलिस थाना सिगरा, जिला–वाराणसी द्वारा आरोप पत्र मु0अ0सं0 747/2019 अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0स0 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी प्रेमनाथ प्रजापति की पुत्री प्रीति प्रजापति चिल्ड्रेन एकेडेमी में पढ़ाने जाती थी एवं सायंकाल बच्चो को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी। दिनांक 11–12–2019 को कुमारी प्रीति प्रजापति ट्यूशन पढ़ाने के लिए चर्च कम्पाउन्ड स्थित बीना सिंह के घर गयी और समय करीब 5.30 बजे सायं ट्यूशन पढ़ाकर वहां से निकली उसके बाद उसका कोई पता नही चला। खोजबीन करने पर उसने थाना सिगरा पर दिनांक 12–12–2019 को गुमशुदगी दर्ज करायी। दिनांक 14–12–2019 को समाचार–पत्र पढ़ने पर पता चला कि चौबेपुर थाना क्षेत्र में किसी लड़की की लाश मिली है, जब उसने जाकर देखा तो वादी के बेटी की थी। उसकी बेटी से रोहित गुप्ता फोन पर बाते करता था। रोहित की इन्गेजमेंन्ट हो चुकी थी इसी वजह से उसकी बेटी परेशान हो गयी और रोहित के साथ उसने बात की। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गयी है कि वादी की बेटी रोहित गुप्ता लड़के की वजह से मरी है।

उक्त के विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त की ओर से 5ख प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में धारा 306 भा0दं0स0 का अपराध कदापि नही बनता, क्योंकि आरोपी द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस द्वारा संकलित नही किया गया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में साक्ष्य के रूप में मृतका की डायरी का पेज संख्या 94 पर मृतका द्वारा लिखित एक शायरी व प्रार्थी/अभियुक्त के पास से बरामद साक्ष्य के रूप में मोबाईल फोन का जिक्र किया गया है जिसमें कहीं भी उल्लेख नही है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया और न ही गवाहान के बयान में इस बात का जिक्र है कि मृतका को आत्महत्या के लिए अभियुक्त द्वारा दुष्प्रेरित किया गया। पुलिस द्वारा खानापूर्ति के उद्देश्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तर्क किया गया कि अभियुक्त का रिमाण्ड पूर्व में धारा 302 भा0दं0सं0 में लिया गया था जिसके पश्चात् उसे धारा 306 भा0दं0स0 में परिवर्तित कर दिया गया। केसडायरी के पर्चा नं0–1 में मृतका के डायरी के पेज नं0–94 पर एक शायरी मिली जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया गया। दिनांक 7–12–2019 को अभियुक्त का इन्गेजमेंन्ट हुआ था जिसका फोटो फेशबुक पर अपलोड था। दिनांक 6–12–2020 को अभियुक्त की मृतका से बात हुई थी। डायरी में लिखी शायरी में कहीं भी स्पष्ट नही है कि अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या हेतु दुष्प्ररित किया गया। मृतका की मृत्यु का कारण पानी में डूबकर होना बताया गया है। धारा 306 भा0दं0सं0 का आरोप नही बनता उसमें अचानक प्रकोपन नही है और न ही कोई अपराध किए जाने का कोई आशय है। उपरोक्त के दृष्टिगत अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए विवश व दुष्प्रेरित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र आधारहीन है। उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मृतक और अभियुक्त के बीच प्रेम प्रसंग था तथा अभियुक्त के इन्गेजमेंन्ट होने के बाद मृतका तथा अभियुक्त के बातचीत हुई थी जिसके पश्चात् मृतका द्वारा आत्महत्या का कदम उठाया गया। आरोप विरचन के स्तर पर उक्त अपराध बनता है अथवा नही बनता, इसका निर्वचन नही किया जाना चाहिए।

यह विधि का सुस्थापित स्थापित सिद्धान्त है कि गंभीर संदेह के आधार पर भी आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है। मामले में गुण–दोष के आधार पर अभी साक्ष्य आना शेष है। जिसके आधार पर साक्ष्यों का विश्लेषण/मूल्यांकन/विवेचन किया जाना है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अन्य अभिलेखीय साक्ष्यों पर इस वाद को आधारित किया गया है। इस स्तर पर सामान्यतया अभियुक्त के बचाव को नहीं देखा जा सकता है।

<u>पलविन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह व अन्य 2009(1) जे आई सी पृष्ठ 73</u> में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय का क्षेत्राधिकार अत्यन्त सीमित है और गम्भीर सम्भावनाओं के आधार पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है। इस स्तर पर साक्ष्य का निर्वचन नहीं किया जा सकता।

<u>टी0 विजयन बनाम स्टेट आफ केरला ए0आई0आर सु0को0 2010 पृष्ठ 637</u> में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि आरोप के स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष की सामाग्री अपर्याप्त है तथा आरोप मुक्त किया जाना ही एक मात्र उपचार है ।

<u>भुवनेश्वर मिश्रा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 इलाहाबाद ला जनरल 2013 (2) पृष्ठ 67</u> में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने माननीय उच्चतम् न्यायालय की विविध विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुये यह अवधारित किया गया है कि आरोप के स्तर पर तथ्य सम्बन्धी विवादित प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता और सम्भावना के आधार पर ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है।

अतएव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से अभियुक्त रोहित गुप्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–306 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। आवेदक/अभियुक्त का प्रार्थनापत्र 5ख/1 निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त का प्रार्थनापत्र 5ख/1 निरस्त किया जाता है।

अतः अभियुक्त रोहित गुप्ता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–306 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप बिरचित किया जायेगा।

तदनुसार पत्रावली दिनांक– को वास्ते विरचित किये जाने आरोप पेश हो।

अभियुक्त नियत तिथि पर व्यक्तिगत रुप से आरोप बिरचन हेतु उपस्थित हों।

दिनांक–25–11–2020

(आराधना कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी न्यायालय–2, वाराणसी।